हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 3/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 11/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ. (10)–14/2017–लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

क. सारणी में,–

(I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में,–

(क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और (ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टयों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vi) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि ''6'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) मद (xi) में, कोष्ठक और अंक ''(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)'' के स्थान पर, कोष्ठक और अंक ''(vii), (viii)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (i) में, ''एक हजार रूपए से अधिक लेकिन'' शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(III) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में,–

(क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5) की प्रविष्टयों के पश्चात् निम्नलिखत को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''(via) रोपवे के द्वारा यात्रियों का परिवहन, चाहे वे अपने सामान के साथ हो या नहीं।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृप्या देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]'';

(ख) मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''(vii) उपर्युक्त (i), (ii), (iii), (iv), (ivक), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	–'';

(IV) क्रमांक 9 के समक्ष, कॉलम (3) में,–

(क) मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''(iii) जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलु सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां–		
(क) जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृप्या देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)]
(ख) जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का विकल्प का प्रयोग करता हो।	2.5 या 6	1. ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए 2.5% की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा। [कृप्या देखें: स्पष्टीकरण संख्या (iv)] 2. किसी वित्तीय वर्ष के दैरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा

		लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक V में घोषणा करके किया जाएगाः बशर्ते कि वित्तीय वर्ष 2022–2023 के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उसके पहले करना होगा। बशर्ते और भी कि उपवाक्य (ख) पर लागू दर पर राज्य कर वाली सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस को वित्तीय वर्ष, 2022–2023 के लिए विकल्प देने के पहले–पहले 18 जुलाई, 2022 से 16 अगस्त, 2022 की अवधि के दौरान जारी किया जा सकता है लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16 अगस्त, 2022 को या उससे पहले ही करेगा ।";

(ख) मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''(via) रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्ते कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृप्या देखेंः स्पष्टीकरण संख्या (iv)]'';

(ग) मद (vii) और कॉलम (4) और (5) में, और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''(vii) उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi) और (via) से भिन्न यात्री परिवहन सेवाएं।	9	–'';

(V) क्रम संख्या 10 के समक्ष, कॉलम (3) में,–

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''(ia) माल परिवहन का	6	–'';

किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।		

(ख) मद (iii) में, कोष्ठक और अंक ''(i)'' के पश्चात्, कोष्ठक और अंक ''(ia)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) और (ii) के लिए और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं। स्पष्टीकरणः इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन सेवा नहीं आती है जिनमें माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965 के अंतर्गत आती है, शामिल होती है।	9	–'';

(VII) क्रमांक 15 के समक्ष, कॉलम (3) में,–

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ख) मद (vii) में, कोष्ठक और प्रतीक ''(i),'' को निरसित किया जाएगा;

(VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (i) में, उप मद (ड.), (ड.क) और (ज) को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
''31A	शीर्षक 9993	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे [इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट (आईसीसीयू)/नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसका शुल्क रू 5000/– प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही हो।	2.5	ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं और सेवाओ पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। [कृप्या देखेंः स्पष्टीकरण संख्या (iv)]'';

(X) क्रम संख्या 32 के समक्ष, कॉलम (3) में,–

(क) मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)	(4)	(5)
''(ia) किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव–चिकित्सा आपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको द्वारा, जैव–चिकित्सिय अपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं।	6	–'';

(ख) मद (ii), कोष्ठक और अंक ''(i)'' के पश्चात, कोष्ठक और अंक और ''और (ia)'' को अंतःस्थापित किया जाएगा।

ख. स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4 में, उपवाक्य (xxxvi) के पश्चात, निम्नलिखित उपवाक्यों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

'' (xxxvi) 'प्रिंट मीडिया' से अभिप्राय है,–

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक', किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशयित हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) की धारा 1 की उपधारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र';

(xxxviii) 'नैदानिक प्रतिस्थापन' से कोई अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट, विरूपण, अप्रसमान्दयता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है; '';

(xxxix) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं" से निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्दयता या गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्दयताओं, चोट या संघात के

कारण प्रभावित शरीर के अंगो या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग. अनुबंध IV के पश्चात, निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

अनुबंध Vः किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना होगा ।

अनुबंध Vः

फार्म

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपल्ब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्या.–

दिनांकः–

1. मैंने/हमने.....(व्यक्ति का नाम), मैसर्स.....का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएसटी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतदद्वारा, एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9(1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष ..... के दौरान अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं;
2. मैं इस बात को समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत

तक वैध रहेगा।

विधिक नामः–

जीएसटीआईएनः–

पैन नं..

प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षरः

प्राधिकृत प्रतिनिधि का नामः

जीटीए का पूरा पताः

(अधिकर क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोटः किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022–2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।''

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2022 Dated: Shimla-2, the 18th July, 2022.

Notification No. 3/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(I) against serial number 3, in column (3), -

(a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) against items (vii) and (x), for the entry in column (4), the entry "6" shall be substituted;

(c) in item (xii), for the brackets and figures"(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)", the brackets and figures "(vii), (viii)," shall be substituted;

(II) against serial number 7, in column (3), in item (i), the words "above one thousand rupees but" shall be omitted;

(III) against serial number 8, in column (3), -

(a) after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to *Explanation* no. (iv)]";

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.	9	-";

(IV) against serial number 9,in column (3), -

(a)for item (iii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA)in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use)supplied by a GTA where,-		
(a) GTA does not exercise the option to itself pay GST on the services supplied by it;	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to *Explanation* no. (iv)]
(b) GTA exercises the option to itself pay GST on services supplied by it.	2.5 or 6	(1)In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service.[Please refer to *Explanation* no. (iv)] (2)The option by GTA to itself pay GST on the services supplied

		by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15th March of the preceding Financial Year: Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16th August, 2022: Provided further that invoice for supply of the service charging State tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18th July,2022 to 16th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16th August,2022.”;

(b)after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(via) Transport of goods by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to *Explanation* no. (iv)]”;

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
“(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii),(iv), (v), (vi) and (via) above.	9	-”;

(V) against serial number 10,in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	6	-";

(b) in item (iii), after the brackets and figure "(i)", the brackets and figures ", (ia)" shall be inserted;

(VI) against serial number 11,in column (3),for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	**(4)**	**(5)**
"Supporting services in transport. *Explanation:* This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.	9	-";

(VII) against serial number 15, in column (3), -

(a)item (i)and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;

(b) in item (vii), the brackets and figures "(i)," shall be omitted;

(VIII) against serial number 26,in column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;

(IX) after serial number 31and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading 9993	Services provided by a clinical establishmentby way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000per day to a person receiving health care services.	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(X) against serial number 32, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia)Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the processes incidental thereto by a common bio-medical waste treatment facility to a clinical establishment.	6	-";

(b) in item (ii), after the brackets and figures"(i)", the word, brackets and figure "and (ia)" shall be inserted;

(B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xxxvii) 'print media' means, —

(i) 'book' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;

(ii) 'newspaper' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii)'clinical establishment' means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) 'health care services' means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xxxx) 'goods transport agency' means, -

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.";

(C) After Annexure IV, following annexure shall be inserted, namely: -

"Annexure V

FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

Reference No.-

Date: -

1. I/We_____ (name of Person), authorised representative of M/s……. have taken registration/have applied for registration and do hereby undertake to pay GST on the GTA services in relation to transportation of goods supplied by us during the financial year……under forward charge in accordance with section 9(1) of the HPGST Act, 2017 and to comply with all the provisions of the HPGST Act, 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or both;

2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.".

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 4/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 12/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–14/2017–लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,

(क). सारणी में, कॉलम (3) में, ––

(i) क्रम संख्या 6 के समक्ष, ,उपवाक्य (i) में, " स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 7 के समक्ष, स्पष्टीकरण में, उपवाक्य (क) में, क्रम संख्या (i)में, " स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, " स्पीड पोस्ट , एक्सप्रेस पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 9 के समक्ष, परन्तुक में, क्रम संख्या (i) में, "केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र से भिन्न किसी व्यक्ति को स्पीड पोस्ट, त्वरित पार्सल डाक, जीवन बीमा और अभीकरण सेवाओं के माध्यम दवारा" शब्दों को निरसित किया जाएगा;

(ख). क्रम संख्या 12 के समक्ष, कॉलम (3) में, " निवास के रूप में" शब्दों के पश्चात "उस स्थिति को छोड़ कर जहां ऐसे आवासीय भवन को किसी पंजीकृत व्यक्ति को किराए पर दिया जाता हो," शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा ;

(ग). क्रम संख्या 14 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(घ). क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) में, एपवाक्य (क) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

" (क) इकोनॉमी क्लास में वायुमार्ग से, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम या त्रिपुरा राज्य या पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित बागडोगरा में अवस्थित विमानपत्तन से प्रस्थान या समापन ;

(ड). क्रम संख्या 20 के समक्ष, कॉलम(3) में , उपवाक्य (घ) को निरसित किया जाएगा;

(च). क्रम संख्या 21 के समक्ष, कॉलम(3) में , उपवाक्य (ख) और (ग) को निरसित किया जाएगा;

(छ). क्रम संख्या 24 ख के समक्ष, कॉलम(3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(3)
" अनाज, दालों, फल और सब्जियों के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माण्यम से दी जाने वाली सेवाएं";

(ज). क्रम संख्या 24 ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
" 24ग	अध्याय 9968	पोस्ट कार्ड, अंर्तदेशीय पत्र, बुक पोस्ट और साधारण डाक (जिनमें लिफाफे का वनज 10 ग्राम से कम हो), के माध्यम से डाक विभाग के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(झ). क्रम संख्या 26 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(झ). क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ट). क्रम संख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ठ). क्रम संख्या 47क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ड). क्रम संख्या 51 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ढ). क्रम संख्या 52 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52 क	शीर्षक 9985	टूर प्रचालक सेवा, जो कि आंशिक रूप से भारत में और और आंशिक रूप से भारत के बाहर दी जाती है और टूर ऑपरेटर के दवारा विदेशी र्प्यटक को सुलभ कराई जाती है, भारत के बाहर सुलभ कराई जाने वाली	NIL	NIL

		टूर ऑपरेटर सेवा मूल्य की सीमा तक; बशर्ते कि भारत के बाहर दी गई टूर ऑपरेटर सेवा का मूल्य पूरे दौरे के लिए प्रभारित कुल मूल्य का ऐसा अनुपात होगा जो उस अनुपात के बराबर होगा जो भारत के बाहर दौरे के दिनों की संख्या के बीच है, या पूरे टूर के लिए कुल शुल्क का 50%, जो भी कम होः बशर्ते और भी कि उपरोक्त गणना करते समय, 12 घंटे के बराबर या उससे अधिक समय की किसी भी अवधि को एक पूरा दिन माना जाएगा और 12 घंटे से कम की किसी भी अवधि को आधा दिन माना जाएगा। स्पष्टीकरण– ''विदेशी पर्यटक'' से अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जो कि सामान्य रूप से भारत का नागरिक नहीं है और वैध और गैर–आप्रवासी उद्देश्य के लिए छह महीने से अनधिक अवधि के लिए भारत में रूकने के लिए आता है। दृष्टांतः कोई टूर ऑपरेटर किसी विदेशी पर्यटक को पर्यटन ऑपरेटर सेवा निम्नानुसार प्रदान करता हैः– (क) भारत में 3 दिन, नेपाल में 2 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्कः रू0 1, 00,000/– छूटः रू0 40,000/– (= रू0 1,00,000/– x 2/5) या, रू0 50,000/–(= रू0 1,00,000/– का 50%) जो भी कम हो , अर्थात रू0 40,000/– (अर्थात कर योग्य मूल्यः रू0 60,000/–); (ख) भारत में 2 दिन, नेपाल में 3 रातें; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क : रू0 1,00,000/– छूटः रू0 60,000(= रू0 1,00,000/– x 3/5) या रू0 50,000/–(= रू0 1,00,000/– का 50%) जो भी कम हो, यानि, रू0 50,000/–(अर्थात, कर योग्य		

		मूल्यः रू0 50,000/–); (ग) भारत में 2.5 दिन, नेपाल में 3 दिन; पूरे दौरे के लिए लिया गया शुल्क ; रू0 1,00,000/–. छूटः रू0 54,545 (= रू0 1,00,000/– x 3/5.5) या, रू0 50,000/–(= रू0 1,00,000/– का 50%), जो भी कम हो, अर्थात, रू0 50,000/– (अर्थात, कर योग्य मूल्य : रू0 50,000/–)		

(ण). क्रम संख्या 53क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(त). क्रम संख्या 54 के समक्ष, कॉलम (3) में, उप वाक्य (ज) को निरसित किया जाएगा;

(थ). क्रम संख्या 56 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(द). क्रम संख्या 73 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ध). क्रम संख्या 74 के समक्ष, कॉलम (3) में, उपवाक्य (क) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :–

(3)
" बशर्ते कि उस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात किसी नैदानिक स्थापना द्वारा कमरे [इंटेसिव केयर यूनिट (आईसीयू)/ क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयू)/ इंटेसिव कार्डिक केयर यूनिट (आई सीसीयू)/ नियेनेटल इंटेसिव केयर यूनिट (एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू होगी जिसका शुल्क रू0 5000/– प्रति दिवस से अधिक हो, ऐसे व्यक्ति को जिसे स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं दी जा रही हो।";

(न). क्रम संख्या 75 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(प). क्रम संख्या 80 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(3)
"प्रशिक्षण या कोचिंग के द्वारा सेवाएं– (क) कला या संस्कृति से सम्बंधित आमोद–प्रमोद के क्रिया कलाप में, किसी व्यक्ति द्वारा या (ख)आयकर अधिनियम की धारा 12 कक या 12कख अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पूर्त अस्तित्व द्वारा खेल,";

(फ) क्रम संख्या 82क के समक्ष, कॉलम (3) में, अक्षर, अंक और शब्दों " FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020" के पश्चात, कोष्ठक और शब्द, "[जब भी पुनर्नियोजित]" को अंतःस्थापित किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
Excise and Taxation Department

No. EXN-F(10)-5/2022 **Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.**

Notification No. 4/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 12/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

(A) in the Table, -

(a) in column (3), -

(i) against serial number 6,in clause (a), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(ii) against serial number 7, in the *Explanation*, in clause (a), in sub-clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(iii) against serial number 8, in the proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(iv) against serial number 9, in the first proviso, in clause (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than the Central Government, State Government, Union territory" shall be omitted;

(b) against serial number 12, in column (3), after the words "as residence", the words "except where the residential dwelling is rented to a registered person" shall be inserted;

(c) serial number 14 and the entries relating thereto shall be omitted;

(d) against serial number 15, in column (3), for clause (a),the following shall be substituted: -

(3)
"(a) air in economy class, embarking from or terminating in an airport located in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, or Tripura or at Bagdogra located in West Bengal;";

(e) against serial number 20, in column (3), clause (d)shall be omitted;

(f) against serial number 21, in column (3), clauses (b) and (c) shall be omitted;

(g) against serial number 24B, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
"Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits and vegetables.";

(h) after serial number 24B and the entries relating thereto, the followingserial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"24C	Chapter 9968	Services by the Department of Posts by way of post card, inland letter, book post and ordinary post (envelopes weighing less than 10 grams).	Nil	Nil";

(i) serial number 26 and the entries relating thereto shall be omitted;

(j) serial number 32 and the entries relating thereto shall be omitted;

(k) serial number 33 and the entries relating thereto shall be omitted;

(l) serial number 47A and the entries relating thereto shall be omitted;

(m) serial number 51 and the entries relating thereto shall be omitted;

(n) after serial number 52 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"52A	Heading 9985	Tour operator service, which is performed partly in India and partly outside India, supplied by a tour operator to a foreign tourist, to the extent of the value of the tour operator service which is performed outside India:	Nil	Nil";

		Provided that value of the tour operator service performed outside India shall be such proportion of the total consideration charged for the entire tour which is equal to the proportion which the number of days for which the tour is performed outside India has to the total number of days comprising the tour, or 50% of the total consideration charged for the entire tour, whichever is less: Provided further that in making the above calculations, any duration of time equal to or exceeding 12 hours shall be considered as one full day and any duration of time less than 12 hours shall be taken as half a day. *Explanation.* -"foreign tourist" means a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes. *Illustrations:* *A tour operator provides a tour operator service to a foreign tourist as follows: -* *(a) 3 days in India, 2 days in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-* *Exemption: Rs.40, 000/- (=Rs.1, 00, 000/- x 2/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.40, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.60, 000/-);* *(b) 2 days in India, 3 nights in Nepal; Consideration Charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-* *Exemption: Rs.60, 000(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-);* *(c) 2.5 days in India, 3 days in Nepal; Consideration charged for the entire tour: Rs.1, 00, 000/-* *Exemption: Rs.54,545(=Rs.1, 00, 000/- x 3/5.5) or, Rs.50, 000/- (= 50% of Rs.1, 00, 000/-) whichever is less, i.e., Rs.50, 000/-(i.e., Taxable value: Rs.50, 000/-).*		

(o) serial number 53A and the entries relating thereto shall be omitted;

(p) against serial number 54, in column (3), clause (h) shall be omitted;

(q) serial number 56 and the entries relating thereto shall be omitted;

(r) serial number 73 and the entries relating thereto shall be omitted;

(s) against serial number 74, in column (3), in clause (a), the following proviso shall be inserted, namely: -

(3)
"Provided that nothing in this entry shall apply to the services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000 per day to a person receiving health care services.";

(t) serial number 75 and the entries relating thereto shall be omitted;

(u) against serial number 80, for the entries in column (3), the following shall be substituted: -

(3)
"Services by way of training or coachingin- (a) recreational activities relating to arts or culture, by an individual, or (b) sports by charitable entities registered under Section 12AA or 12AB of the Income Tax Act.";

(v) against serial number 82A, in column (3), after the letters, figures and words, "FIFA U-17 Women's World Cup 2020", the brackets and words "[whenever rescheduled]" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 5/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (3), में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 13/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ. (10)–14/2017–लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, सारणी में–

(1) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2) में,–

(क) शब्द, अंक और प्रतीक " जिसने 6 प्रतिशत की दर से केनद्रीय कर का भुगतान नहीं किया है" को निरसित किया जाएगा;

(ख) परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

" बशर्ते और भी कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी, जहां,–

i. आपूर्तिकर्ता ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत पंजीकरण कराया हो और फॉरवार्ड चार्ज के तहत अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर का भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, और

ii. आपूर्तिकर्ता ने प्राप्तकर्ता को लागू दरों पर केन्द्रीय कर लगा कर इनवॉयस जारी किया हो, और अपने द्वारा जारी ऐसे इनवायॅस के बारे में अनुबंध III में यथानिर्धारित घोषणा की हो।";

2) क्रम संख्या 5 के समक्ष, कॉलम (2) में, उपवाक्य(2), मद (i) को शब्द और प्रतीक "(i) डाक विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाएं" से प्रति स्थापित किया जायेगा।"

3) क्रमांक 5क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)	(4)
‘‘5कक	किसी पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय भवनों को किराए पर देने के माध्यम से दी गई सेवा।	कोई भी व्यक्ति	कोई भी पंजीकृत व्यक्ति ।’’;

4) अनुलग्नक II के बाद, निम्नलिखित अनुलग्नक को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

‘‘ अनुलग्नक III

?kks"k.kk

मैंने/हमने एचपीजीएसटी अधिनियम,2017 के तहत पंजीकरण करा लिया है और फॉरवार्ड चार्ज के तहत वित्तीय वर्ष _____ के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीए की सेवाओं पर कर के भुगतान के विकल्प का प्रयोग किया है।’’.

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2022 Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.

Notification No. 5/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.13/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely: -

In the said notification, in the Table, -

(1) against serial number 1,in column (2), -

(a) the words, figures and symbols "who has not paid central tax at the rate of 6%," shall be omitted;

(b) after the proviso the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that nothing contained in this entry shall apply where, -

i. the supplier has taken registration under the CGST Act, 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charge; and

ii. the supplier has issued a tax invoice to the recipient charging Central Tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annexure III on such invoice issued by him.";

(2) against serial number 5, in column (2), in the sub-clause (2), in item (i), the words "by way of speed post, express parcel post, life insurance, and agency services provided to a person other than Central Government, State Government or Union territory or local authority" shall be omitted;

(3) after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)

"5AA	Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.	Any person	Any registered person.";

(4) after Annexure II, the following annexure shall be inserted, namely: -

"Annexure III

Declaration

I/we have taken registration under the HPGST Act, 2017 and have exercised the option to pay tax on services of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the Financial Year _____ under forward charge.".

2. This notification shall come into force with effect from the 18th July,2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 6/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–14/2017–लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

क. प्रारंभिक पैराग्रफ में,

(i) खंड (v) में, ''और'' शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (vi) में, शब्द और अंक ''अनुसूची vi'' के बाद, शब्द '', और'' अंतस्थापित किया जाएगा;

(iii) खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''(vii) अनुसूची vii में विनिर्दिष्ट माल की बाबत 0.75 प्रतिशत।'';

ख. अनुसूची I में – 2.5%,–

(i) क्रम संख्या 1 और 2 के सामने, कॉलम (3) में, ''और युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, ''जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रमांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्:–

''9क	0403	छही, लस्सी, छाछ, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '';

(iii) क्रम संख्या 11 और 13 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 16 के सामने, कॉलम (3) में, ''और युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री–पैकेज्ड और लेबल

किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 25 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 26 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 30 के सामने, कॉलम (3) में, '' युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और ''अधीन रहते हुए'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द '' प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 45, 46, 47, 48, 49 ,50 ,51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो युनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और ''परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रमांक 91 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्:–

''91क	1701 या 1702	बेंत गुड (गुड), पलमायरा गुड सहित सभी प्रकार का गुड, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो; खांडसारी शुगर जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो'';

(x) क्रमांक 98 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्:–

''98क	1904	फुला हुआ चावल, जिसे आमतौर पर मुरी के नाम से जाना जाता है, चपटा या पीटा हुआ चावल, जिसे आमतौर पर चिरा के रूप में जाना जाता है, पार्च्ड चावल, जिसे आमतौर पर खोई, पार्च्ड धान या चीनी या गुड के साथ लेपित चावल के रूप में जाना जाता है, जिसे आमतौर पर मुर्की के नाम से जाना जाता है, जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो''';

(xi) क्रमं संख्या 101क के सामने, कॉलम (3) में, '' जो कि युनिट कंटेनरों'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द '' प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रमांक 163 और उससे संबंधित प्रविष्टियो का लोप किया जाएगा;

(xiii) क्रमांक 181 क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित कि जाएंगी, अर्थात्:–

''181ख	3006	ओस्टोमी उपकरण थैली या फ्लैंड, स्टोमा चिपकने वाला पेस्ट, बैरियर क्रीम, सिंचाई किट, आस्तीन, बेल्ट, माइक्रो–पोर टेप सहित'';

(xiv) क्रमं संख्या 182 के सामने, कॉलम (3) में, '' जिन्हे इकाई आघानो में रखा गया है और जिनका ब्रांड नाम है'' के लिए, शब्द '' प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रमांक 197क, 197ख, 197ग, 197घ और 197ड. और उससे संबंधित प्रविष्टियो का लोप किया जाएगा;

(xvi) क्रमं संख्या 215 के सामने, कॉलम (3) में, '' जो कि यूनिट कंटेरन में बंद हो और जिनका ब्रांड नेम हो'' के लिए, शब्द '' प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए '' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xvii) क्रमांक 230, 232, 233, 234क और 234ग और उससे संबंधित प्रविष्टियो का लोप किया जाएगा;

(xviii) क्रम संख्या 255 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''255क	9021	आर्थोपेडिक उपकरण, जैसे बैसाखी, सर्जिकल बेल्ट, और ट्रसस; स्प्लिंट्स और अन्य फ्रैक्चर उपकरण; शरीर के कृत्रिम अंग; अन्य उपकरण जो किसी दोष या अक्षमता की भरपाई के लिए पहने या ढोये जाते हैं, या शरीर में प्रत्यारोपित किए जाते है; इट्राओक्युलर लेंस [हियरिंग एड्स के अलावा]'';

(xix) क्रम संख्या 264 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, लिस्ट 3 में, आइटम ख में, सब–आइटम 1 तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ग. अनुसूची II में – 6%,–

(i) क्रम संख्या 16 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द ''अमरूद'' के पश्चात्, शब्द ''आम (कटे हुए, सूखे आम से भिन्न)'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 41क के सामने, कॉलम (3) में, ''जो यूनिट कंटेनर'' से शुरू होने वाले और '' परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री–पैकेज्ड और लेबल किए गए हो'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 के सामने, कॉलम (3) में, ''जो कि यूनिट कंटेनरों'' से शुरू होने वाले और ''परित्याग कर दिया गया हो]'' के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के लिए, शब्द ''जो प्री–पैकेज्ड

और लेबल किए गए हो'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 65 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द ''गर्भनिरोधक'' के पश्चात्, शब्द ''और ओस्टोमी उपकरण'' को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रमांक 70 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 85क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''85ख	4107	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र – पोशाक चमडे, गोजातीय (भौंस सहित) या घोड़े के जानवरों सहित कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85ग	4112	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न चर्मपत्र – पोशाक चमडे, भेड़ या भेड़ के बच्चे सहित, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार चमड़ा, बिना ऊन के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं,
85घ	4113	शीर्षक 4114 के चमड़े से भिन्न अन्य जानवरों के चर्मपत्र–पोशाक चमडे सहित, बिन ऊन या बालों के, चाहे विभाजित हो अथवा नहीं, कमाना या क्रस्टिंग के पश्चात् तैयार किया गया चमड़ा
85ड.	4114	चामोड्स (संयोजन चामोड्स सहित) चमड़ा; पेटेंट लेदर और पेटेंट लैमिनेटेड लेदर; धातुयुक्त चमड़ा
85च	4115	चमड़े या चमड़े के फाइबर के आधार पर बनाया गया चमड़ा, स्लैब, शीट या पट्टी में, चाहे रोल में हो अथवा नहीं; चमड़े या कंपोजीशन लेदर के परिंग्स और अन्य अपशिष्ट, जो चमड़े की वस्तुओं के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं हैं; चमड़े की धूल, पाउडर और आटा;

(vii) क्रमांक 120 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 125 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''125ख	4905	मानचित्र और हाइड्रोग्राफिक या सभी प्रकार के समान चार्ट, जिसमें एटलस, दीवार के नक्शे, स्थलाकृतिक योजनाएं और ग्लोब, मुद्रित शामिल हैं'';

(ix) क्रम संख्या 176ख के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि '' फ्लाई ऐश ब्रिक्स; फ्लाई ऐश समुच्चय; फ्लाई ऐश ब्लॉक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रमांक 187, 188, 189, 192 और 193 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xi) क्रमांक 194 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

''194क	8419 12	सोलर वॉटर हीटर और सिस्टम'';

(xii) क्रमांक 195 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 197 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों, अंकों और प्रतीको के लिए ''शीर्षक 8437 की मशीनरी से भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उपज की सफाई, छंटाई या गेडिंग के लिए मशीनें, [इनके भाग/हिस्से [8433 90 00]]'', शब्द ''उसके हिस्से'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रमांक 198, 205, 217, 221, 226 और 227 और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची III में – 9%,–

(i) क्रम संख्या 30क के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि ''कोयले से टार डिस्टिल्ड, लिग्नाइट से या पीट और अन्य खनिज टार से, निर्जलित या आंशिक रूप से डिस्टिल्ड, पुनर्गठित टार सहित'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रमांक 54ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"54 ग	3215	प्रिंटिंग स्याही, लेखन या ड्राइंग स्याही और अन्य स्याही सहित सभी सामान, चाहे संकेंद्रित या ठोस, फाउंटेन पेन स्याही, बॉल पेन स्याही";

(iii) क्रम संख्या 148 के समक्ष, कॉलम (3) में, "एसेप्टिक पैकेजिंग पेपर से भिन्न" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 148 के समक्ष, कॉलम (3) में, दूसरे "स्क्रिप्स के अलावा" के पश्चात्, शब्द"; चेक, गुम या बही के रूप में" को अन्तः स्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 182घ के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्दों और अंको के लिए "फलाई ऐश ईंटे, फलाई ऐश ब्लॉक, फलाई ऐश समुच्चय जिनमें फलाई ऐश कंटेंट 90 प्रतिशत या उससे अधिक हो से भिन्न" शब्द "फलाई ऐश ईंटों, फलाई ऐश समुच्चय, फलाई ऐश ब्लॉक से भिन्न" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 301क को क्रमांक 301कक के रूप में फिर से क्रमांकित किया जाएगा, और इस प्रकार पुनः क्रमांकित किए गए क्रम संख्या 301 कक से पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथाः

"301क	8211	काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, दांतेदार अथवा नहीं (छंटनी चाकू सहित), शीर्षक 8208 के चाकू से भिन्न, और उसके लिए ब्लेड";

(vii) क्रम संख्या 302क के समक्ष, कॉलम (3) में, "कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और ब्लेड से भिन्न" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 302क और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"302ख	8215	चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक–सर्वर, मछली–चाकू, मक्खन–चाकू, चीनी चिमटे और इसी तरह की रसोई या टेबलवेयर";

(ix) क्रम संख्या 317ख के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "(0) कंक्रीट पंप [8413 40 00]; (00) अन्य रोटरी सकारात्मक विस्थापन पंप [8413 60]; (000) बिजली से चलने वाले पंप मुख्य रूप से पानी को संभालने के लिए डिज़ाईन किए गए हैं, यथा, केन्द्रापसारक पंप (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर), गहरे ट्यूब–वेल टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप, अक्षीय प्रवाह और मिश्रित प्रवाह ऊर्ध्वाधर पंप" ; प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 317ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"317ग	8414 20 10	साइकिल पंप
317 घ	8414 90 12	हवा के पुर्जे या बैक्यूम पंप और साइकिल पंप के कम्प्रेसर ";

(xi) क्रम संख्या 328 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"328क	8433	शीर्षक 8437 की मशीनरी के भिन्न अंडे, फल या अन्य कृषि उत्पादों की सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग के लिए मशीनें; उसके हिस्से [8433 90 00]
328ख	8434	दूध निकालने वाली मशीनें और डेयरी मशीनरी ;

(xii) क्रम संख्या 329 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"329क	8437	सफाई, छंटाई या ग्रेडिंग, बीज, अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के लिए मशीनें; मिलिंग उद्योग में या अनाज या सूखे फलीदार सब्जियों के काम करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीनरी, जो कि कृषि प्रकार की मशीनरी और उसके पुर्जों से भिन्न है ";

(xiii) क्रम संख्या 371 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"371क	84 या 85	ई– अपशिष्ट स्पष्टीकरण– इस प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए, ई– अपशिष्ट का अर्थ है– ई– अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 की अनुसूची 0 में सूचीबद्व विद्युत और इलेक्ट्रानिक उपकरण (भारत के राजपत्र.....के तहत प्रकाशित), संपूर्ण या आंशिक रूप से अगर उपभोक्ता या थोक उपभोक्ता द्वारा कचरे के रूप में फेंक दिया जाता है ";

(xiv) क्रम संख्या 376कग के समक्ष, कॉलम (3) में, "[ग्राइंडर के रूप में पत्थर से बने गीले ग्राइंडर से भिन्न]" प्रतीकों और शब्दों का लोप किया जाएगा;

(xv) क्रम संख्या 390 के समक्ष, कॉलम (3) में, "[प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) प्रकाश स्त्रोतों से भिन्न]" प्रतीकों शब्दों और अक्षरों का लोप किया जाएगा;

(xvi) क्रम संख्या 406 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"406क	8807	8801 शीर्षक के माल के भाग ";

(xvii) क्रमांक 413 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "ड्राइंग, मार्किंग–आउट या गणितीय गणना उपकरण (उदाहरण के लिए, ड्राफ्टिंग मशीन, पेंटोग्राफ, प्रोट्रैक्टर, ड्राईंग सेट, स्लाइड रूल्ज़, डिस्क कैलकुलेटर); लंबाई मापने के लिए उपकरण, हाथ में उपयोग के लिए (उदाहरण के लिए, मापने की छड़ और टेप, माइक्रोमीटर, कैलिपर) निर्दिष्ट नहीं हैं या इस अध्याय में कहीं और शामिल नहीं हैं" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xviii) क्रमांक 438क के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द, अक्षर और प्रतीक "एलईडी लाइट या एलईडी लैंप सहित जुड़नार; एलईडी (लाइट एमिटिंग डायोड) ड्राइवर और एमसीपीसीबी (मेटल कोर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड), का लोप किया जाएगा ;

ड. अनुसूची VI -0.125% में,

(i) क्रमांक 1 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "रफ डायमंड या सिंपली सान डायमंड, औद्योगिक या गैर–औद्योगिक" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध–कीमती पत्थरों [हीरों से भिन्न], चाहे काम किया गया हो अथवा नहीं, लेकिन स्ट्रान्ग, माउंटेड या सेट नहीं; परिवहन की सुविधा के लिए अस्थाई रूप से फंसे हुये अवर्गीकृत सिंथेटिक या पुनर्निर्मित कीमती या अर्ध– कीमती पत्थर [हीरे से भिन्न]; सिंथेटिक या पुनर्निर्मित हीरे, बिना काम के या केवल आरी या मोटे तौर पर आकार के" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

च. अनुसूची VI में तालिका के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथाः–

"अनुसूची VII- 0-75%

क्रमांक	अध्याय / शीर्षकक / उप–शीर्षकक / टैरिफ मद	माल का विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	7102	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 1 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान
2.	7104	अनुसूची VI में तालिका के क्रम संख्या 3 में निर्दिष्ट वस्तुओं से भिन्न अन्य सामान";

छ. अनुसूची VII के पश्चात्, स्पष्टीकरण में, खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

"(ii) 'प्री–पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री–पैकेज्ड कमोडिटी' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 की उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2022 **Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.**

Notification No. 6/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No.1/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:-

1. In the said notification, -

A. in the opening paragraph,

(i) in clause (v), the word "and" shall be omitted;

(ii) in clause (vi), after the word and figures "Schedule VI", the figure and word ", and" shall be inserted;

(iii) after clause (vi), the following clause shall be inserted, namely:-

"(vii) 0.75 per cent. in respect of goods specified in Schedule VII".

B. in Schedule I – 2.5%,

(i) against S. Nos. 1 and 2, in column (3), for the portion beginning with the words "and put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(ii) after S. No. 9 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"9A	0403	Curd, Lassi, Butter milk, pre-packaged and labelled";

(iii) against S. Nos. 11 and 13, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iv) against S. No. 16, in column (3), for the portion beginning with the words "and put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(v) against S. No. 25, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vi) against S. No. 26, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words "pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vii) against S. No. 30, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words "as in the ANNEXURE", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(viii) against S. Nos. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 and 59, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "as in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(ix) after S. No. 91 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"91A	1701 or 1702	Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled;Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled";

(x) after S. No. 98 and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"98A	1904	Puffed rice, commonly known as Muri, flattened or beaten rice, commonly known as Chira, parched rice, commonly known as khoi, parched paddy or rice coated with sugar or gur, commonly known as Murki, pre-packaged and labelled";

(xi) against S. No. 101A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words and bracket "as in the

ANNEXURE]", the words ", other than those pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xii) S. No. 163 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xiii) after S. No. 181A and the entries relating thereto, following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"181B	3006	Ostomy appliances including pouch or flange, stoma adhesive paste, barrier cream, irrigator kit, sleeves, belt, micro-pore tapes";

(xiv) against S. No. 182, in column (3), for the words "put up in unit containers and bearing a brand name", the words ", pre-packaged and labelled." shall be substituted;

(xv) S. Nos. 197A, 197B, 197C, 197D and 197E and entries relating thereto shall be omitted;

(xvi) against S. No. 215, in column (3), for the words "put up in unit container and bearing a brand name", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xvii) S. Nos. 230, 232, 233, 234A and 234C and entries relating thereto shall be omitted;

(xviii) after S. No. 255 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"255A	9021	Orthopaedic appliances, such as crutches, surgical belts, and trusses; Splints and other fracture appliances; artificial parts of the body; other appliances which are worn or carried, or implanted in the body, to compensate for a defect or disability; intraocular lens [other than hearing aids]";

(xix) after S. No. 264 and entries relating thereto, in List No. 3, in item (B), the sub-item (1) and the entries relating thereto shall be omitted;

C. in Schedule II – 6%, -

(i) against S. No. 16, in column (3), after the word "guavas", the words and brackets ", mangoes (other than mangoes sliced, dried)" shall be inserted;

(ii) against S. No. 41A, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iii) against S. No. 46, in column (3), for the portion beginning with the words "put up in" and ending with the words and bracket "in the ANNEXURE]", the words ", pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iv) against S. No. 65, in column (3), after the word "contraceptives", the words "and Ostomy appliances" shall be inserted;

(v) S. No.70 and the entries relating thereto shall be omitted;

(vi) after S. No. 85A and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"85 B	4107	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of bovine (including buffalo) or equine animals, without hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85C	4112	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of sheep or lamb, without wool on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85 D	4113	Leather further prepared after tanning or crusting, including parchment-dressed leather, of other animals, without wool or hair on, whether or not split, other than leather of heading 4114
85E	4114	Chamois (including combination chamois) leather; patent leather and patent laminated leather; metallised leather
85F	4115	Composition leather with a basis of leather or leather fibre, in slabs, sheets or strip, whether or not in rolls; parings and other waste of leather or of composition leather, not suitable for the manufacture of leather articles; leather dust, powder and flour";

(vii) S. No.120 and the entries relating thereto shall be omitted;

(viii) after S. No. 125 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

"125A	4905	Maps and hydrographic or similar charts of all kinds, including atlases, wall maps, topographical plans and globes, printed";

(ix) against S. No. 176B, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted;

(x) S. No. 187, 188, 189, 192 and 193 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xi) after S. No. 194 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"194A	8419 12	Solar water heater and system";

(xii) S. No. 195 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xiii) against S. No. 197, in column (3), for the words and figures "machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts [8433 90 00]", the words "parts thereof" shall be substituted;

(xiv) S. Nos. 198, 205, 217, 221, 226 and 227 and the entries relating thereto shall be omitted;

D. in Schedule III – 9%, -

(i) against S. No. 30A, for the entry in column (3), the entry "Tar distilled from coal, from lignite or from peat and other mineral tars, whether or not dehydrated or partially distilled, including reconstituted tars" shall be substituted;

(ii) after S. No. 54B and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"54C	3215	All Goods, including printing ink, writing or drawing ink and other inks, whether or not concentrated or solid, fountain pen ink, ball pen ink";

(iii) against S. No. 148, in column (3), the brackets and words "[Other than aseptic packaging paper]" shall be omitted;

(iv) against S. No. 157B, in column (3), after the word and bracket "Scrips)", the figures and words "; Cheques, loose or in book form" shall be inserted;

(v) against S. No. 182D, in column (3), for the brackets, words and figures "[other than fly ash bricks, fly ash blocks, fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content]", the brackets and words "[other than Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks]" shall be substituted;

(vi) S. No. 301A shall be re-numbered as S. No. 301AA, and before S. No. 301AA as so re-numbered, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:

"301A	8211	Knives with cutting blades, serrated or not (including pruning knives), other than knives of heading 8208, and blades therefor";

(vii) against S. No. 302A, in column (3), the brackets and words "[other than paper knives, pencil sharpeners and blades therefor]" shall be omitted;

(viii) after S. No. 302A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"302B	8215	Spoons, forks, ladles, skimmers, cake-servers, fish-knives, butter-knives, sugar tongs and similar kitchen or tableware";

(ix) against S. No. 317A, for the entry in column (3), the entry "(a) Concrete pumps [8413 40 00]; (b) other rotary positive displacement pumps [8413 60]; (c) Power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps" shall be substituted;

(x) after S. No. 317B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"317C	8414 20 10	Bicycle pumps
317D	8414 90 12	Parts of air or vacuum pumps and compressors of bicycle pumps";

(xi) after S. No. 328 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"328A	8433	Machines for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agricultural produce, other than machinery of heading 8437; parts thereof [8433 90 00]
328B	8434	Milking machines and dairy machinery";

(xii) after S. No. 329 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"329A	8437	Machines for cleaning, sorting or grading, seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables other than farm type machinery and parts thereof";

(xiii) after S. No. 371 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"371A	84 or 85	E-waste *Explanation*.- For the purpose of this entry, E-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016 (published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23rd March, 2016), whole or in part if discarded as waste by the consumer or bulk consumer";

(xiv) against S. No. 376AC, in column (3), the brackets and words "[other than wet grinder consisting of stone as a grinder]" shall be omitted;

(xv) against S. No. 390, in column (3), the brackets, words and letters "[other than Light-Emitting Diode (LED) Light Sources]" shall be omitted;

(xvi) after S. No. 406 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

"406A	8807	Parts of goods of heading 8801";

(xvii) against S. No. 413, for the entry in column (3), the entry "Drawing, marking-out or mathematical calculating instruments (for example, drafting machines, pantographs, protractors, drawing sets, slide rules, disc calculators); instruments for measuring length, for use in the hand (for example, measuring rods and tapes, micrometers, callipers), not specified or included elsewhere in this chapter" shall be substituted;

(xviii) against S. No. 438A, in column (3), the letters, words, and brackets "LED lights or fixtures including LED lamps; LED (light emitting diode) driver and MCPCB (Metal Core Printed Circuit Board)" shall be omitted;

E. in Schedule VI – 0.125%,

(i) against S. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Rough diamonds or simply sawn diamonds, industrial or non-industrial" shall be substituted;

(ii) against S. No. 3, for the entry in column (3), the entry "Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones [other than diamonds], temporarily strung for convenience of transport; synthetic or reconstructed diamonds, unworked or simply sawn or roughly shaped" shall be substituted;

F. after Schedule VI and before Explanation, following entries shall be inserted, namely:-

"Schedule VII – 0.75%

S.No.	**Chapter / Heading / Sub-heading / Tariff item**	**Description of Goods**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	7102	Goods other than those specified against S. No. 1 in Schedule VI
2.	7104	Goods other than those specified against S. No. 3 in Schedule VI";

G. after the Schedule VII, in the Explanation, for clause (ii) and the entries relating thereto, the following clause shall be substituted, namely:-

‘(ii) The expression ‘pre-packaged and labelled’ means a ‘pre-packaged commodity’ as defined in clause (*l*) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.’.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 7/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 2/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ. (10)–14/2017–लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

(क) अनुसूची में,–

(i) क्रम संख्या 9 और 22 के समक्ष, कॉलम (3) में "जिन्हे किसी युनिट कंटेनरß 'ाब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 26 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

"दही, लस्सी, छाछ, उनसे भिन्न, जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 27, 29, 30ख, 45, 46क के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और "परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम संख्या 46 ख के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 और 75 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 77 और 78 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

"(i) सभी प्रकार के गुड़, जिसमें गन्ने से प्राप्त होने वाले गुड़ (सामान्य गुड़), पलमेरा गुड़ भी आते हैं उनसे भिन्न, जिन्हें प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो;

(ii) खांडसारी चीनी उनसे भिन्न, जिन्हें जिन्हें प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(viii) क्रम संख्या 95 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "मुर्की के नाम से ज्ञात है" के पश्चात शब्द Þउनसे भिन्न, जिन्हें जिन्हें प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ix) क्रम संख्या 97 के समक्ष, कॉलम (3) में, "यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "उनसे भिन्न, जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(x) क्रम संख्या 99 के समक्ष, कॉलम (3) में, शब्द "शुद्धीकृत" को निरसित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 108 के समक्ष, कॉलम (3) में, "जिन्हे किसी यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 118 और 122 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(xiii) क्रम संख्या 132क के समक्ष, कॉलम (3) में, " जो यूनिट कंटेनर" शब्दों से प्रारंभ होने वाले और ""परित्याग कर दिया गया हो]" से अंत होने वाले शब्दों के स्थान पर "जिन्हे प्री–पेकेज्ड और लेबल किया गया हो" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiv) क्रम संख्या 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियें को निरसित किया जाएगा;

(ख) अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

"(ii) 'प्री–पेकेज्ड और लेबल' वाक्यांश का अर्थ 'प्री–पैकेज्ड' है जिसे विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 2 की उपधारा (1) में परिभाषित किया गया है, जहां विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में किये गए पैकेज जिसमें माल पहले से पैक किया गया है या उस पर सुरक्षित रूप से लेबल चिपका हुआ है।"

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2022 Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.

Notification No. 7/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 2/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(A) in the Schedule, -

(i) against S. Nos. 9 and 22, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(ii) against S. No. 26, for the entry in column (3), the entry "Curd, Lassi, Butter milk, other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iii) against S. Nos. 27,29, 30B, 45, 46A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up in" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(iv) against S. No. 46B, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(v) against S. Nos. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73, 74 and 75, in column (3), for the portion beginning with "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vi) against S. Nos. 77 and 78, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(vii) against S. No. 94, for the entry in column (3), the entry "(i) Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, other than pre-packaged and labelled.; (ii) Khandsari Sugar, other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(viii) against S. No. 95, in column (3), after the word "Murki", the words and symbols ", other than pre-packaged and labelled" shall be inserted;

(ix) against S. No. 97A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up" and ending with the words "as specified in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(x) against S. No. 99, in column (3), the word "purified, " shall be omitted;

(xi) against S. No. 108, in column (3), for the portion beginning with the words "[other than those" and ending with the words "conditions as in the ANNEXURE I]]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xiii) S. Nos. 118 and 122 and the entries relating thereto shall be omitted;

(xiv) against S. No. 132A, in column (3), for the portion beginning with the words "other than those put up" and ending with the words "as in the ANNEXURE I]", the words ", other than pre-packaged and labelled" shall be substituted;

(xv) S. No. 141 and the entries relating thereto shall be omitted;

(B) after the Schedule, in the Explanation, for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ii) The expression 'pre-packaged and labelled' means a 'pre-packaged commodity' as defined in clauses (l) of section 2 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) where, the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto is required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and the rules made thereunder.".

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 8/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 3/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ. (10)–14/2017–लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ''6%'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
Excise and Taxation Department

No. EXN-F(10)-5/2022 **Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.**

Notification No. 8/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 3/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose dated 30th June, 2017, namely, in the said notification, in the TABLE, against S. No. 1, for the entry in column (4), the entry "6%" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 9/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 54 की उप धारा (3) के परन्तुक के उपवाक्य (ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 5/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 30 जून, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई. एक्स.एन.–एफ.(10)–14/2017–लूज दिनांक 30 जून, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,–

क. सारणी में,–

(i) प्रारंभिक पैराग्रफ में, परन्तुक में, उपवाक्य (i) में, शब्द और अंक ''क्रम संख्या 1'', के स्थान पर शब्द और अंक '' क्रम संख्या 1कक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी में कमसंख्या 1 को अब क्रम संख्या 1कक लिखा जाएगा और इस प्रकार लिखे गए क्रम संख्या 1कक के पहले निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः–

(1)	(2)	(3)
''1क.	1507	सोयाबीन तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ख.	1508	मूंगफली का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ग.	1509	जैतून का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1घ.	1510	अन्य तेल और उनके प्रभाज, जो केवल जैतून से अभिप्राय हैं, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं, जिनके अंतर्गत शीर्ष संख्या 1509 के तेल और उनके प्रभाज के साथ इन तेलों या उनके प्रभाज से सम्मिश्रण हैं।
1ड.	1511	ताड़ का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।

1च.	1512	सूर्यमुखी, कुसंभ या बिनौले का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1छ.	1513	नारियल (खोपरा), ताड़ की गिरी या बाबासू का तेल और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ज.	1514	तेरिया, कोल्जा या सरसो का तेल और उसके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1झ.	1515	अन्य अवाष्शील वनस्पति वसा और तेल (जिनके अंतर्गत जोजोबा का तेल है) और उनके प्रभाज, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से उपांतरित नहीं हैं।
1ण.	1516	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, भागतः या पूर्णतः हाइड्रोजनीकृत, अंतःएस्टीकृत, पुनःएस्टीकृत, इलोडिनीकृत, चाहे परिष्कृत हैं या नहीं, किंतु रासायनिक रूप से निर्मित नहीं हैं।
1त.	1517	शीर्ष संख्या 1516 की खाद्य वसा और तेलों या उनके प्रभाजों से भिन्न, इस अध्याय के वनस्पति या तेलों के अथवा विभिन्न वसा या तेलों के प्रभाजों के खाद्य मिश्रण या निमिर्तियां।
1थ.	1518	वनस्पति वसा और तेल और उनके प्रभाज, क्वथित, आक्सीकृत, निर्जलीकृत, सल्फरीकृत, धमित, निर्वात या अक्रिय गैस में ऊष्मा द्वारा बहुलकित या अन्यथा रासायनिक रूप से उपांतरित, उनको छोडकर जो शीर्ष 1516 के अंतर्गत आते हैं।
1द.	2701	कोयला; कोयले से निर्मित ब्रिकेट्स, ओवोइड्स और इसी तरह के ठोस ईंधन
1ध.	2702	लिग्नाइट, जेट को छोड़कर, जमा हुआ है या नहीं
1न	2703	पीट (पीट के टुकड़े सहित), चाहे जमा हो या नहीं''

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2022 Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.

Notification No. 9/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by clause (ii) of the proviso to sub-section (3) of section 54 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following further amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 5/2017-State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-14/2017-Loose, dated the 30th June, 2017, namely :-

In the said notification,

(i) in the opening paragraph, in the proviso, in clause (i), for the words and figure "serial numbers 1", the words, figure and letters "serial numbers 1AA" shall be substituted;

(ii) in the TABLE, S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1AA, and before S. No. 1AA as so re-numbered, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"1A.	1507	Soya-bean oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified
1B.	1508	Ground-nut oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1C.	1509	Olive oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1D.	1510	Other oils and their fractions, obtained solely from olives, whether or not refined, but not chemically modified, including blends of these oils or fractions with oils or fractions of heading 1509
1E.	1511	Palm oil and its fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1F.	1512	Sunflower-seed, safflower or cotton-seed oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1G.	1513	Coconut (copra), palm kernel or babassu oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.

1H.	1514	Rape, colza or mustard oil and fractions thereof, whether or not refined, but not chemically modified.
1I.	1515	Other fixed vegetable or microbial fats and oils (including jojoba oil) and their fractions, whether or not refined, but not chemically modified.
1J.	1516	Vegetable fats and oils and their fractions, partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, re-esterified or elaidinised, whether or not refined, but not further prepared.
1K.	1517	Edible mixtures or preparations of vegetable fats or vegetable oils or of fractions of different vegetable fats or vegetable oils of this Chapter, other than edible fats or oils or their fractions of heading 1516
1L.	1518	Vegetable fats and oils and their fractions, boiled, oxidised, dehydrated, sulphurised, blown, polymerised by heat in vacuum or in inert gas or otherwise chemically modified, excluding those of heading 1516
1M.	2701	Coal; briquettes, ovoids and similar solid fuels manufactured from coal
1N.	2702	Lignite, whether or not agglomerated, excluding jet
1O.	2703	Peat (including peat litter), whether or not agglomerated”

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 10/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) और धारा 16 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 02/2022–राज्य कर (दर) दिनांक 23 अप्रैल, 2022 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 दिनांक 23 अप्रैल, 2022, के तहत प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथाः–

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, कॉलम (3) में प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि ''फ्लाई ऐश ईंटें;''फ्लाई ऐश समुच्चय; ''फ्लाई ऐश ब्लॉक'' को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2022 **Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.**

Notification No. 10/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 and sub-section (1) of section 16 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, is pleased to make the following amendments in the notification of the Government of Himachal Pradesh, No. 02/2022-State Tax (Rate), dated the 23rd April, 2022, published in the Gazette of Himachal Pradesh, *vide* number EXN-F(10)-5/2022, dated the 23rd April, 2022, namely: -

In the said notification, in Table, against Sl. No. 1, for the entry in column (3), the entry "Fly ash bricks; Fly ash aggregates; Fly ash blocks" shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 18th July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh

हिमाचल प्रदेश सरकार
राज्य कर एवं आबकारी विभाग

ई.एक्स.एन.–एफ.(10)–5/2022 शिमला–2, 18 जुलाई, 2022

अधिसूचना संख्याः 11/2022–राज्य कर (दर)

हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 10), की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 45/2017–राज्य कर (दर) दिनांक 15 नवंबर, 2017 जो हिमाचल प्रदेश के राजपत्र में संख्या ई.एक्स.एन.–एफ. (10)–20/2016–वॉल–I दिनांक 18 नवंबर, 2017, के तहत प्रकाशित की गई थी, को निरसित, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा करने से लोप की गई बातों को छोड़ते हुए, करते हैं।

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 को लागू होगी।

आदेश द्वारा

(सुभासीष पन्डा)
प्रधान सचिव (राज्य कर एवं आबकारी)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Government of Himachal Pradesh
State Taxes and Excise Department

No. EXN-F(10)-5/2022 **Dated: Shimla-2, the 18 July, 2022.**

Notification No. 11/2022-State Tax (Rate)

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Himachal Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (10 of 2017), the Governor of Himachal Pradesh, on the recommendations of the Council, hereby rescinds the notification of the Government of Himachal Pradesh No. 45/2017-State Tax (Rate), dated the 15th November, 2017, published in the Gazette of Himachal Pradesh, vide number EXN-F(10)-20/2016-Vol.1, dated the 18th November, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

2. This notification shall come into force on the 18th day of July, 2022.

By Order

(Subhasish Panda)
Pr. Secretary (ST&E) to the
Government of Himachal Pradesh